<u>न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, न्यायालय सं०-14, बाराबंकी।</u>

मूलवाद संख्या-221/2014

CNR No. UPBB180000962014

जुबेर बनाम खेमराज आदि।

<u>21.05.2025</u>

पत्रावली आज वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 प्रस्तुत हुई, जिस पर पूर्व में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-6 अन्तर्गत आदेश-39 नियम-1 जाब्ता दीवानी</u>

उपरोक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि प्रार्थी व विपक्षी ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा परगना व तहसील रामनगर जिला बाराबंकी के निवासी है, प्रार्थी का एक किता होटल आबादी सं० 54 ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा में अर्सा करीब 20 वर्ष से कायम चला आ रहा है, प्रार्थी उपरोक्त होटल में चाय व अन्य सामान की बिक्री करके अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। विपक्षी का प्लाट व कारखाना प्रार्थी के होटल के पश्चिम ओर स्थित है जिसका निकास जानिब दक्षिण है। विपक्षी का प्रार्थी के होटल व उसकी जगह से कोई वास्ता व सरोकार न कभी रहा है और न अब है, विदित हो कि प्रार्थी उक्त होटल में छप्पर डालकर मामूली कारोबार करता है और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। विपक्षी निहायत चालाक व असरदार व्यक्ति है, वह इस बात पर आमादा है कि महादेवा के उपलक्ष्य में प्रार्थी के होटल की जगह पर काबिज हो जावें और अपना स्वयं का कारोबार करें, जबकि उसको कोई ऐसा हक हासिल नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित होता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि दौरान मुकदमा विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका न गया तो प्रार्थी की अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी अन्य दीगर प्रकार से सम्भव न हो सकेगी। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दौरान मुकदमा विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मना कर दिया जावे कि विपक्षी प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल होटल में कोई मदाखिलत व मजाहमत न करें और ऐसा करने से दवामन बाज रहे।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादी सं० 1 द्वारा आपत्ति कागज संख्या ग-46 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र के अधिकतर कथनों से इंकार किया है। प्रतिवादी सं० 1 का संक्षिप्त कथन है कि विवदित भूमि व उसके आस पास का नक्शा नजरी संयुक्त व अंग वादोत्तर है जिसमें वादी का मकान व सहन अक्षर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T से दर्शाया गया है। प्रतिवादीजन व उनके पूर्वज ग्राम महादेवा तथा लोधौरा के मूल निवासी है तथा प्रतिवादी सं० 1 के

पिता ने ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा परगना व तहसील फतेहपुर जो कि अब तहसील रामनगर है में मकान बनवाने की गरज से एक किता भूमि जिसके पूरब रानी की हवेली जिसके मालिक महन्त जी व दक्षिण सड़क है, उसे तत्कालीन जमींदार से प्राप्त किया था तथा उसे हासिल करने के बाद प्रतिवादी सं० 1 के पिता ने उस भूमि पर कच्ची कोठरी बनवायी व उसमें आगे छप्पर डाला और उसमें रहने लगे बाकी भूमि को बतौर सहन इस्तेमाल करते रहे। उक्त भूमि का वर्तमान समय में भूमि सं० 54 है जो कि आबादी का एक बड़ा नम्बर है तथा उक्त 54 नम्बर के अंश नं० 346 रकबा 0.091 हे० प्रतिवादी सं० 1 के पिता को जमींदार से प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी सं० 1 के पिता का देहान्त वर्ष 1985 में हो गया और पिता प्रतिवादी सं० 1 के जीवनकाल में ही पिता प्रतिवादी सं० 1 तथा प्रतिवादी सं० 1 के बिरादरान के बीच आपसी सलाहियत से पारिवारिक समझौता हो गया और भूमि सं० 54 की अंश भूमि सं0 346 रकबा 0.091 हे० व अन्य दीगर जायदाद प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में आयी और तब से वह उक्त भूमि पर काबिज व दखील चला आ रहा है। भूमि सं0 54 की अंश भूमि सं0 346 रकबा 0.091 हे0 को प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ने उसके एक अंश पर काफी बड़ा हाल बनवाया जिसमें उसने अपना कारखाना कायम किया तथा इसी भूमि के एक अंश पर एक चक्की हौजिया धान उबालने व सेल्हा चावल बनाने के लिए कायम किया जो अभी भी कायम है तथा शेष भूमि को प्रतिवादी सं० 1 बतौर सहन इस्तेमाल करता चला आ रहा है। प्रतिवादी सं० 1 उक्त सहन के रूप में बची भूमि को ग्राम महादेवा में लगने बाले मेलो में अस्थायी तौर पर दुकाने लगवाकर किराया वसूलता रहा है। वर्ष 1998 में प्रतिवादी सं० 1 की उक्त भूमि पर उ० प्र० राज्य के कर्मचारियों तथा जिला पंचायत के कर्मचारियों व ठेकेदार के द्वारा जबरन किराया वसूलने तथा प्रतिवादी सं० 1 के सहन में बने चबूतरा को खोद डालने की धमकी दी गयी तब प्रतिवादी सं० 1 को जिला पंचायत तथा उ० प्र० राज्य के विरूद्ध मूल वाद सं0 318/1998 प्रस्तुत करना पड़ा जो कि श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं० 13 बाराबंकी के द्वारा दिनांक 29–02–2008 को डिकी किया गया। उक्त मूल वाद सं0 318/98 में प्रतिवादीजन की ओर से तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जैबुल का बयान भी हुआ था। उक्त दोनों ही के द्वारा कहीं पर यह नहीं कहा गया कि भूमि सं० 54 की अंश भूमि सं० 346 रकबा 0.091 हे० के किसी अंश पर वादी का कब्जा है या वादी को ग्राम समाज के द्वारा उक्त भूमि दी गयी है। उक्त निर्णय दिनांक 29.02.2008 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील भी प्रस्तुत की गयी जो कि प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में निर्णीत हुई और प्रतिवादी सं० 1 को उक्त विवादित भूमि का स्वामी माना गया। इसी प्रकार से वर्ष 2002 में जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी रामनगर जिला बाराबंकी के द्वारा पुनः प्रतिवादी सं० 1 व अन्य की

भूमि पर हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया तब प्रतिवादी सं० 1 सहित 13 अन्य लोगों के द्वारा श्रीमान सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं0 20 बाराबंकी के न्यायालय पर मूल वाद सं० 108/2002 प्रस्तुत किया गया जो कि अन्तरित होकर श्रीमान अति० सिविल जज (सी०डि०), कोर्ट सं० 23, बाराबंकी के न्यायालय पर विचाराधीन हुआ और उक्त मूल वाद में भी प्रतिवादी सं० 1 के स्वत्व को न्यायालय द्वारा माना गया और डिक्री राज्य सरकार व उसके कर्मचारियों के विरूद्ध पारित हुई, उल्लेखनीय है कि उक्त मूल वाद में प्रतिवादी सं० 1 के साथ जमींदारान के वारिसान ने भी वाद प्रस्तुत किया था जिनके द्वारा भी विवादित भूमि में प्रतिवादी सं० 1 के स्वत्व में कोई प्रश्न चिन्ह नही उठाया गया। इसके अलावा प्रतिवादी सं० 1 तथा ध्रुव कुमार सिंह जो कि मूल वाद सं० 108/2002 में बतौर वादी सं० 1 थे तथा जमींदार के वारिस भी है। दोनों के द्वारा इजराय वाद सं० 02/2007 भी प्रस्तुत की गयी थी। जिसमें भी राज्य सरकार की ओर से प्रतिवादी सं० 1 की भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने की अण्डरटेकिंग दी गयी और उसके आधार पर इजराय वाद समाप्त किया गया। वादी को ग्राम समाज या राज्य सरकार की ओर से भूमि सं० 54 की अंश भूमि सं० 346 रकबा 0.091 हे0 के किसी अंश पर न तो कभी पट्टा दिया गया न ही किसी प्रकार की अनुमति आदि ही दी गयी और न ही ग्राम समाज व राज्य उत्तर प्रदेश को प्रतिवादी सं० 1 की भूमि के किसी अंश का पट्टा देने या कोई अनुमति देने का कोई सवाल ही पैदा होता है न ही ग्राम समाज व राज्य उत्तर प्रदेश को ऐसा कोई अधिकार ही है कि वह प्रतिवादी सं० 1 की भूमि की बाबत कोई पट्टा आदि कर सके यदि वादी द्वारा ऐसी कोई तहरीर या रसीद आदि न्यायालय के समक्ष लायी जाती है तो उसे जाली तथा फर्जी समझा जावे। वादी ने इससे पूर्व फरवरी माह सन 2014 में भी प्रतिवादी सं० 1 के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय पर मूल वाद सं0 221/14 जुबेर बनाम खेमराज प्रस्तुत किया था जो कि अन्तरित होकर श्रीमान सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं० 14 बाराबंकी के न्यायालय पर विचाराधीन हुआ। जिसमें वादी ने न तो ग्राम समाज से अनुमति की कोई बात ही कही है न ही कोई नाप व चौहददी ही बतलाया है तथा उक्त वाद भी स्थायी निषेधाज्ञा का ही है जब वादी को उक्त वाद में प्रतिवादी सं० 1 के उपस्थित होने के बाद तथा न्यायालय से प्रतिलिपि की याचना के बाद यह लगा कि अब उसे स्थगन आदेश नहीं मिल पाया है तो मात्र एक माह पूर्व प्रस्तुत वाद तथा उसके तथ्यों को छिपाकर वादी ने यह वाद प्रस्तुत कर दिया है। उक्त मूल वाद सं० 221/14 जुबेर बनाम खेमराज वादी का खारिज हो चुका है। प्रतिवादी सं० 1 भूमि सं0 54 की अंश भूमि सं0 346 रकबा 0. 091 हे० दर्शित नक्शा नजरी संयुक्त व अंग वादोत्तर A, B, C, D, E, F का स्वामी रहा है और उसमें से प्रतिवादी सं० 1 R, S, T, F अंश को ध्रुव कुमार के पुत्र कुलदीप सिंह को दिनांक 13.02.2002 को जरिये पंजीकृत

बैनामा बय कर चुका है तथा G, D, S, R, T, H अंश श्रीमती मन्जू जयसवाल को दिनांक 13.03.2014 को बय कर चुका है तथा I, G, J, H अंश अजय कुमार तिवारी को दिनांक 13.03.2014 को बय कर चुका है तथा K, I, L, J अंश श्री हनुमन्त प्रसाद को दिनांक 13.03.2014 को बय कर चुका है तथा M, K, L, N अंश वेद प्रकाश तिवारी को दिनांक 24.03.2014 को बय कर चुका है तथा M, N, O, P अंश रवि प्रकाश को दिनांक 24.03.2014 को बय कर चुका है तथा C, O, P, Q अंश आदित्य कुमार तिवारी को दिनांक 24.03.2014 को बय कर चुका है। जिनके द्वारा अपने कय शुदा अंश पर कतिपय निर्माण भी किये गये है जिन्हे उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 2 के रूप में राजेन्द्र तिवरी पुत्र प्यारेलाल को पक्षकार बनाया गया है जबकि प्यारेलाल के राजेन्द्र तिवारी नाम का कोई लड़का नहीं है बल्कि प्यारेलाल के लडके का नाम अजय कुमार तिवारी है। प्रतिवादी सं० 1 तथा राज्य सरकार के मध्य लगभग प्रत्येक मेले में विवादित भूमि पर की जाने वाली वसूली अथवा अन्य कार्यों को लेकर टकराव होता रहा है और प्रतिवादी सं० 1 को अपनी उक्त विवादित भूमि की बाबत कतिपय वाद व कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक करनी पड़ी और अभी भी जारी है। एक अवमानना की कार्यवाही विवादित भूमि को लेकर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय पर ही चल रही है। विचारणीय प्रश्न है कि इन समस्त विवादों के समय वादी की क्या स्थिति रही और वादी कहां था और आज तक उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही क्यो नहीं की गयी। वादी के द्वारा कोई प्रलेख अनुमति या पट्टा आदि श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपने स्वामित्व का कोई अन्य प्रलेख ही प्रस्तुत किया गया है इसके अलावा विवादित भूमि पर उसका कभी भी कब्जा व दखल भी नहीं रहा है तो ऐसी दशा में उसका छप्पर आदि मौजूद होना सम्भव ही नही है न ही है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के समय माह फरवरी 2014 में स्वयं के द्वारा प्रस्तुत वाद में याचित अनुतोष की बाबत मूल वाद सं० 221/14 प्रस्तुत किया गया था और उसी अनुतोष को प्रस्तुत वाद में भी याचित किया गया है ऐसी दशा में वादी का वाद धारा 10 जा०दी० के तहत स्थगित किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद श्रीमान न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से परे है। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के समय या उससे पूर्व विवादित सम्पत्ति पर वादी का स्वामित्व व अध्यासन न होने के कारण वादी कार्य वाद पोषणीय नहीं है तथा धारा 34 वि० अनुतोष अधिनियम से बाधित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रत्येक दशा में असत्य तथ्यों पर आधारित होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीजन उक्त दशा मे हर्जा खास अंतर्गत धारा 35 जा०दी० प्राप्त करने की अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रत्येक दशा में असत्य तथ्यों पर आधारित

होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि आपत्ति के तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थना पत्र ग–6 सव्यय निरस्त करने की कृपा की जाये।

वादी ने अपने कथन के समर्थन में सूची ग–50 से दावा की प्रमाणित प्रति ग–51/1 ता ग–51/5, प्रमाणित प्रति आदेश दिनांकित 22.12.2007 ग–52/1 ता ग–52/2, प्रमाणित प्रति इजराय प्रार्थना पत्र ग–53/1 ता ग–53/4, प्रमाणित प्रति अण्डरटेकिंग ग–54/1 ता ग–54/2, प्रमाणित प्रति दावा ग–55/1 ता ग–55/9, प्रमाणित प्रति निर्णय ग–56/1 ता ग–56/9, छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांकित 15.12.2011 ग–57/1 ता ग–57/2, छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांकित 14.02.2014 ग–58/1 ता ग–58/2, छायाप्रति माननीय उच्च न्यायालय आदेश दिनांकित 14.08.2008 ग–59/1 ता ग–59/7 दाखिल किये हैं।

प्रतिवादीजन ने अपने कथन के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

उभय पक्षों के तर्कों को पूर्व में सुना जा चुका है तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र ग–6 के संबंध में न्यायालय को निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक होता है, जिस पर विचार किया गया–

1. प्रथम दृष्टया वाद
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूर्णीय क्षति

प्रथम दृष्टया वाद

सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या वादी का मामला प्रथम दृष्टया वाद बनता है या नहीं?

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ***Yogesh Agarwal vs Sri Rajendra Goyel And Another*** **2014 (3) ARC 427** में अवधारित किया है कि–

> *"The first rule is that the applicant must make out a prima facie case in support of the right claimed by him and the court must be satisfied that there is a bonafide dispute raised by the applicant, and there is a strong case for trial which needs investigation and a decision on merits and on the facts before the court there is a probability of the applicant being entitled to the relief claimed by him….The courts should not examine the merits*

of the case closely at that stage or try to restore a conflict of evidence nor decide complicated question of fact and law which call for detailed arguments and mature considerations. They are matters to be dealt with at trial. The grant or refusal of temporary injunction is not a mini trial.

In deciding a prima facie case, the court is to be guided by the plaintiff's case as revealed in the plaint, affidavits or other materials produced by him. Explaining the ambit and scope of the connotation "prima facie' case, in ***Martin Burn Limited Versus R.N. Banerjee*** **[1958 SCR 514]**, *the Supreme Court observed as follows:-*

"A prima facie case does not mean a case proved to the hilt but a case which can be said to be established if the evidence which is led in support of the same were believed. While determining whether a prima facie case had been made out the relevant consideration is whether on the evidence led it was possible to arrive at the conclusion in question and not whether that was the only conclusion which could be arrived at on that evidence…. It has only got to consider whether the view taken is a possible view on the evidence on the record."

न्यायालय उपरोक्त वर्णित सिद्धांत का सम्मान करता है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि वादी व विपक्षीजन ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा परगना व तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी के निवासी हैं। वादी का यह अभिकथन है कि उसका एक होटल आबादी सं० 54 ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा में अर्सा करीब 20 वर्ष से कायम चला आ रहा है, प्रार्थी उपरोक्त होटल में चाय व अन्य सामान की बिक्री करके अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता है। विपक्षी का प्लाट व कारखाना प्रार्थी के होटल के पश्चिम ओर स्थित है जिसका निकास जानिब दक्षिण है। विपक्षी का प्रार्थी के होटल व उसकी जगह से कोई वास्ता व सरोकार न कभी रहा है और न अब है। विपक्षीजन ने वादी के अभिकथनों का खण्डन करते हुए यह अभिकथित किया है कि उक्त 54 नम्बर का अंश नम्बर 346 रक्बा 0.091 हे० प्रतिवादी सं० 1 के पिता को जमींदार से प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी सं० 1 के पिता का देहान्त वर्ष 1985 में हो गया और पिता प्रतिवादी सं० 1 के जीवनकाल में ही पिता प्रतिवादी सं० 1 तथा प्रतिवादी सं० 1 के बिरादरान के बीच आपसी सलाहियत से

पारिवारिक समझौता हो गया और भूमि सं० 54 की अंश भूमि सं0 346 रकबा 0.091 हे० व अन्य दीगर जायदाद प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में आयी और तब से वह उक्त भूमि पर काबिज व दखील चला आ रहा है। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि वादी के द्वारा कोई अनुमति प्रलेख या पट्टा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अपने स्वामित्व का कोई अन्य प्रलेख ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उसका छप्पर आदि मौजूद होना सम्भव ही नहीं है और न ही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कमीशन रिपोर्ट कागज सं० ग–13 में विवादित भू भाग पर गुमटी एवं छप्पर का होना उल्लिखित है। प्रतिवादीजन द्वारा भूमि सं० 54 के सम्बंध में अनेक बैनामे अलग–अलग व्यक्तियों के पक्ष में होना अभिकथित किया गया है परन्तु न्यायालय के अवलोकन हेतु किसी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत वादी द्वारा किये गये अभिकथनों को कमीशन रिपोर्ट ग–13 से बल मिलता है। यद्यपि उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीजन यह विचारणीय प्रश्न उठाने में सफल रहे हैं कि वादी कोई प्रलेख, अनुमति या पट्टा आदि या स्वामित्व का कोई अन्य प्रलेख प्रस्तुत करने में असफल रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आबादी सं० 54 के सम्बंध में वादी के अभिकथनों के खण्डन में एवं कमीशन रिपोर्ट की आपत्ति में प्रतिवादीजन द्वारा कोई बेहतर विधिक तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में तथ्य एवं परिस्थितियों, न्यायहित तथा अस्पष्टता को देखते हुए वादी का प्रथम दृष्टया वाद परिलक्षित होता है।

सुविधा का सन्तुलन

इस बिंदु में यह देखना होता है कि क्या निषेधाज्ञा का अनुतोष न देने पर वादी को अधिक तुलनात्मक असुविधा अथवा कठिनाई होगी वरन उसके जो उक्त अनुतोष दे देने पर प्रतिवादीजन को होगी, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Dalpat Kumar Versus V. Prahlad Singh*** **(1992) 1 SCC 719** में अवधारित किया है–

> *"If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued."*

इस स्तर पर पृथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में पाया गया है। ऐसे में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Dalpat Kumar Versus V. Prahlad Singh*** **(1992) 1 SCC 719** में अवधारित किया है कि-

> *“The Court further has to satisfy that non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking*

relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages."

यदि विवादित गुमटी/होटल पर दौरान मुकदमा प्रतिवादीजन का हस्तक्षेप जारी रहा तो वादी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है, जिसकी पूर्ति हर्जे से नहीं की जा सकती और वाद में जटिलता व बहुलता बढ़ सकती है।

अतः, वाद के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा उपरोक्त विश्लेषण के अलोक में, इस स्तर पर प्रार्थना पत्र ग–6 निम्न आशय से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र ग–6 स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीजन को आदेशित किया जाता है कि वे दौरान मुकदमा आबादी सं० 54 ग्राम महादेवा मजरे लोधौरा परगना व तहसील रामनगर में स्थित वादी के गुमटी/होटल में उसके कब्जा व दखल में हस्तक्षेप न करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 31.07.2025 को पेश हो।

(डॉ० प्रीति भास्कर)
सिविल जज (जू०डि०), रामसनेहीघाट,
न्यायालय संख्या –14, बाराबंकी।